भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3803
दिनांक 17.03.2020/27 फाल्गुन,1941 (शक) को उत्तर के लिए

एनसीओआरडी का पुनर्गठन

†3803. **सुश्री सुनीता दुग्गलः**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जुलाई 2019 में एनसीओआरडी के पुनर्गठन के बाद केंद्रीय स्तर पर सर्वोच्च समिति और कार्यकारी समिति द्वारा कितनी बैठकें आयोजित की गई हैं;

(ख) मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने/नियंत्रित करने के लिए इन समितियों द्वारा जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एनसीओआरडी के पुनर्गठन के बाद परिणामों में कोई सुधार हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क): जुलाई, 2019 में एनसीओआरडी के पुनर्गठन के बाद, केंद्रीय स्तर पर सर्वोच्च समिति की एक बैठक दिनांक 19.11.2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। कार्यकारी समिति की केंद्रीय स्तर पर कोई बैठक आयोजित नहीं हुई है।

(ख): दिनांक 19.11.2019 को नई दिल्ली में आयोजित सर्वोच्च समिति की पहली बैठक के मद्देनजर निम्नलिखित दिशानिर्देश/निर्देश जारी किए गए थे, जिनमें से महत्वपूर्ण बातें निम्नानुसार हैं:

1) सभी प्रवर्तन एजेंसियों से बड़ी जब्ती वाले उन विशिष्ट मामलों के परिचालानात्मक मुद्दों के समन्वय के लिए महानिदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) की अध्यक्षता में गठित संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) संबंधी तंत्र का उपयोग करने का अनुरोध किया गया था, जिनका संबंध अपराधों और उनके अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव से होता है।

2) राज्यों को जब्ती सूचना प्रबंधन प्रणाली (एसआईएमएस) नामक वेब-आधारित ऑनलाइन प्लेटफार्म का प्रयोग करने और तत्काल लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड बनाने का अनुरोध किया गया था ताकि आईएनसीबी (अंतर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण बोर्ड) के साथ-साथ वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के लिए भी जब्ती के आंकड़ों को साझा किया जा सके।

3) दि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) और स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स ने पूरे देश में प्रभावशाली नियंत्रण और एकरूपता लाने के लिए सभी राज्यों के थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं दोनों के लिए कोडीन आधारित कफ सिरप (सीबीसीएस) की सीमाएं निर्धारित करने का अनुरोध किया था।

4) केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) और स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स ने उपशमन संबंधी देखभाल और दर्द के नियंत्रण के लिए बनी उन लाइसेंस प्राप्त औषधियों के संबंध में सभी मादक विधि प्रवर्तन प्राधिकारियों को जानकारी प्रदान करने हेतु कार्यशालाएं आयोजित करने की सलाह दी थी जिन्हें नियमित स्वापक औषधि के रूप में नहीं माना जाता है।

5) इस तथ्य पर विचार करते हुए कि पंजाब में मादक पदार्थों के संबंध में दर्ज 30% से अधिक मामले बीच की मात्रा के हैं जिससे मादक पदार्थों के अधिकतर तस्कर जमानत पर जल्दी रिहा हो जाते हैं, हेरोइन की व्यापारिक मात्रा के वर्गीकरण को वर्तमान में 250 ग्राम से घटाकर 25 ग्राम करने की मांग करते हुए अपर महानिदेशक, पंजाब विशेष कार्यबल से साक्ष्य और मामला अध्ययनों के साथ उपयुक्त प्रस्ताव मांगा गया था।

6) सभी स्टेकहोल्डरों से नये मनो-उत्तेजक पदार्थों (एनपीएस) के उभरते हुए खतरे से निपटने के लिए मादक पदार्थों के तुलना/वर्ग-वार सूचीकरण के संबंध में राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय को टिप्पणियां उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, क्योंकि भारत अभी भी पदार्थ-वार सूचीकरण की प्रक्रिया का पालन कर रहा था, जो एनपीएस के बाजार में तेजी से हो रहे विकास के साथ गति बनाए रखने के लिए उपयुक्त नहीं थी।

7) कोडीन आधारित कफ सिरप के अन्य प्रयोजनों हेतु प्रयोग और तस्करी को रोकने के लिए यह सुझाव दिया गया था कि राज्य थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के लिए बोतल की सीमा निर्धारित करने जैसे स्थानीय उपायों पर विचार कर सकते हैं।

8) सभी स्टेकहोल्डरों से राज्यों (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान) के साथ परामर्श करके अफीम की वैध खेती को वर्ष 2023 तक पूर्ण रूप से समाप्त करने के लक्ष्य के साथ इसकी खेती के अंतर्गत आने वाले वर्तमान क्षेत्र को कम करने की संभावना का पता लगाने का अनुरोध किया गया था।

(ग) और (घ): स्वापक समन्वय केंद्र (एनसीओआरडी) का उद्देश्य अधिक प्रभावशाली विनियमन और प्रवर्तन प्रणाली के लिए शासन व्यवस्था को नया स्वरूप देना है। इसने सभी मादक विधि प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य स्टेक होल्डरों के बीच अधिक समन्वय तथा तालमेल को सुगम बनाया है। इसने स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों (एनडीपीएस) से संबंधित मामलों के लिए एक साझा प्लेटफार्म उपलब्ध कराया है, जिससे नीतिगत मुद्दों का समाधान करने और परिचालन संबंधी कामकाज में मदद मिली है।

****